**भारत सरकार**

**वस्‍त्र मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1114**

**19 दिसम्‍बर, 2018 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**प्रधान मंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना के**

**अंतर्गत वस्त्र क्षेत्र के पंजीकृत कर्मचारी**

**1114. श्री अमर शंकर साबलेः**

**क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(**क) प्रधान मंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पी॰एम॰पी॰आर॰पी॰वाई) के अंतर्गत वस्त्र क्षेत्र के पंजीकृत कर्मचारियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि लाभार्थियों के पैन संख्या से उनके आधर को जोड़ने की प्रक्रिया में त्रुटियां होने के कारण लाभार्थी अपने दावों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**वस्‍त्र राज्‍य मंत्री**

**(श्री अजय टम्‍टा)**

**(क):** दिनांक 09 दिसम्‍बर, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्‍साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई) के अंतर्गत कुल 5,59,584 कर्मचारी पंजीकृत हैं। राज्‍य-वार विवरण निम्‍नानुसार है:

|  |  |
| --- | --- |
| **राज्‍य** | **पंजीकृत कर्मचारी** |
| आंध्र प्रदेश | 14,715 |
| चंडीगढ़ | 1,266 |
| दिल्ली | 7,484 |
| गुजरात | 10,603 |
| हरियाणा | 94,042 |
| कर्नाटक | 1,35,239 |
| केरल | 14,945 |
| मध्य प्रदेश | 7,455 |
| महाराष्ट्र | 4,207 |
| पंजाब | 8,812 |
| राजस्थान | 4,396 |
| तमिलनाडु | 1,94,726 |
| उत्तर प्रदेश | 57,106 |
| उत्तराखंड | 364 |
| पश्चिम बंगाल | 4,224 |
| कुल | **5,59,584** |

**(ख):** इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान कुल 240 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

**(ग) और (घ):** पीएमपीआरपीवाई के अंतर्गत पैन के साथ आधार को जोड़ने की कोई विशिष्‍ट आवश्‍यकता नहीं है।

\*\*\*\*\*